रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 731] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 27, 2015/अग्रहायण 6, 1937
No. 731] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 27, 2015/AGRAHAYANA 6, 1937

गृह मंत्रालय

(भारतीय भूमि-पत्तन प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 2015

सा.का.नि. 906(अ).—भारतीय भूमि-पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2010 (2010 का 31) की धारा 35 की उप धारा (2) के खण्ड (घ) के साथ पठित उप-धारा (1) और धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय भूमि-पत्तन प्राधिकरण, केन्द्र सरकार के पूर्वानुमोदन से, एतदद्वारा, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ:—

(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय भूमि-पत्तन प्राधिकरण (शुल्क एवं अन्य प्रभार) विनियम, 2015 है।

(2) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.—

(1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से भारतीय भूमि-पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2010 (2010 का 31) अभिप्रेत है;

(ख) "प्राधिकरण" से उक्त अधिकरण की धारा 3 के अंतर्गत गठित भारतीय भूमि-पत्तन प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(ग) "कार्गो टर्मिनल" से एकीकृत जांच चौकी के भीतर वह क्षेत्र अभिप्रेत है जहां कार्गो के आयात अथवा निर्यात संबंधी रखरखाव तथा भण्डारण किया जाता है तथा इसमें कवर्ड गोडाउन, शेड, सड़कों, कार्गो वाहन के लिए पार्किंग क्षेत्र, लॉरी तुलाई पुल (ब्रिज) से युक्त खुला क्षेत्र तथा कार्गो टर्मिनल

Scanned by CamScanner

भवन, जहां सीमा शुल्क, अभिरक्षक, क्लीयरिंग और हैण्डलिंग एजेंटों के कार्यालय, बैंक आदि जैसी अन्य सहायता सुविधाएं मौजूद हों;

(घ) "अन्य सुविधाएओं" से कार्यालय आवास, होटल, रेस्टोरेंट अथवा कैन्टीन, कियोस्क अथवा बूथ अथवा काउन्टर अथवा विश्राम कक्षों अथवा खुले क्षेत्र, प्रतीक्षालय, शेड आदि में लगे होर्डिंग जैसी सुविधाएं अथवा सेवाएं अभिप्रेत हैं तथा इनमें एकीकृत जांच चौकी में डाक, मनी एक्सचेंज, बीमा आदि तथा अन्य सेवाएं शामिल हैं;

(ड.) "यात्री टर्मिनल" से एकीकृत जांच चौकी के भीतर वह क्षेत्र अभिप्रेत है जहां तक यात्रियों की पहुंच हो तथा इसमें उनके लिए पार्किंग सहित कवर्ड भवन अथवा शेड और खुला क्षेत्र शामिल है।

(2) इसमें प्रयुक्त तथा अपरिभाषित किन्तु अधिनियम में परिभाषित शब्द और अभिव्यक्तियों के क्रमश: वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में दिए गए हैं।

3. कार्गो टर्मिनल में मुहैया कराई गई सेवाओं के लिए शुल्क, किराया आदि.-

(1) प्राधिकरण, कार्गो के रखरखाव तथा परिवहन, वेयर हाउसिंग, तुलाई, कार्गो वाहनों के प्रवेश और उनकी पार्किंग तथा कार्गो टर्मिनल में मुहैया कराई जानी वाली इस प्रकार की अन्य सेवाओं के लिए शुल्क वसूल सकता है।

(2) उप-विनियम (1) के अंतर्गत वसूले जाने वाले शुल्क का प्राधिकरण द्वारा निर्धारण बाजार दशाओं, व्यापार के परिमाण, इनपुट की लागत तथा संबंधित जांच चौकी के आस-पास के क्षेत्र में व्याप्त अन्य व्यापार प्रक्रियाओं के आधार पर किया जाए।

4. यात्री टर्मिनल में मुहैया कराई जाने वाली सेवाओं के लिए शुल्क, किराया आदि.—यात्री टर्मिनल में वाहनों की पार्किंग तथा यात्रियों और अन्य आगुन्तकों को मुहैया कराई जाने वाली अन्य सेवाओं के लिए प्राधिकरण उतना शुल्क, किराया आदि वसूल कर सकता है जो वह समय-समय पर निर्धारित करे।

5. कतिपय सुविधाओं और सेवाओं के लिए शुल्क, किराया आदि.—

(1) सरकारी विभागों तथा एकीकृत जांच चौकी में मुहैया कराए जाने वाले होटलों, रेस्टोरेंट अथवा कैंटीन, कियोस्क अथवा बूथों अथवा काउन्टरों अथवा होर्डिंग्स जैसे अन्य सेवा प्रदाताओं सहित विभिन्न एजेंसियों को आवास मुहैया कराने के लिए प्राधिकरण उतना शुल्क, किराया आदि वसूल सकता है जो वह समय-समय पर निर्धारित करे।

(2) प्राधिकरण, बाहरी एजेंसियों के लिए निर्माण अथवा प्रबंधन तथा अन्य संबंधित सेवाओं हेतु परामर्शी सेवाएं प्रदान करने के लिए ऐसी दरों पर शुल्क वसूल कर सकता है जो उसके द्वारा इस प्रकार की सेवाओं अथवा सुविधाओं की प्रक्रति, परिमाण, अवधि, लागत आदि के आधार पर समय-समय पर निर्धारित की जाएं।

6. शुल्कों, किराए तथा अन्य प्रभारों की समीक्षा.-

(1) प्राधिकरण, एकीकृत जांच चौकी के विभिन्न प्रयोक्ताओं से वसूल किए जाने वाले शुल्कों, किराए तथा अन्य प्रभारों के ढांचे की समय-समय पर समीक्षा कर सकता है और उसे आशोधित कर सकता है।

(2) उप-विनियम (1) के अंतर्गत की जाने वाली समीक्षा की अवधि प्राधिकरण द्वारा इस प्रकार की समीक्षा के लिए आवश्यक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जाए।

[फा. सं. 13/4/2013-बीएडीपी (एलपीएआई)]

युद्धवीर सिंह महरावत, अध्यक्ष

Scanned by CamScanner

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Land Ports Authority of India)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th November, 2015

G.S.R. 906(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (d) of sub-section (2) of section 35 and section 19 of the Land Ports Authority of India Act, 2010 (31 of 2010), the Land Ports Authority of India with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely:—

1. Short title and commencement.—

(1) These regulations may be called the Land Ports Authority of India (Fees and Other Charges) Regulations, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—

(1) In these regulations, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Land Ports Authority of India Act, 2010 (31of 2010);

(b) "Authority" means the Land Ports Authority of India constituted under section 3 of the Act;

(c) "cargo terminal" means the area within the integrated check post where handling and storage for import or export of cargo is undertaken and includes covered godowns, sheds, roads, parking area for cargo vehicle, open area with lorry weigh bridges and other support facilities such as cargo terminal building where offices of customs, custodian, clearing and handling agents, banks, etc., are housed;

(d) "other facilities" means facilities or services like office accommodation, hotels, restaurants or canteens, kiosks or booths or counters or hoardings provided in rest rooms or in open area, waiting hall, sheds etc. and includes postal, money exchange, insurance, etc., and other services at an integrated check post;

(e) "passenger terminal" means the area within the integrated check post where passengers have access and include covered buildings or sheds and open area including parking meant for them.

(2) Words and expressions used herein and not defined, but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Fees, rent, etc., for services provided in the cargo terminal.—

(1) The Authority may charge fees for handling and transportation of cargo, warehousing, weighment, entry and parking fees for cargo vehicles and such other services provided at the cargo terminal.

(2) The fees charged under sub-regulation (1) may be fixed by the Authority depending upon market conditions, volume of trade, cost of input and other trade practices prevailing in and around the concerned integrated check post.

4. Fees, rent, etc., for services provided in the passenger terminal.—The Authority may charge such fees, rent, etc., as it may determine from time to time, towards parking of vehicles and other services provided to the passengers and other visitors in the passenger terminal.

5 Fees, rent, etc., for certain facilities and services.—

(1) The Authority may charge such fees, rent, etc., as it may determine from time to time, for providing accommodation to various agencies including Government Departments and other service providers

Scanned by CamScanner

like hotels, restaurants or canteens, kiosks or booths or counters or hoardings provided in the integrated check post.

(2) The Authority may charge fees for providing consultancy services for construction or management and other related services to outside agencies, at such rates as may be fixed by it from time to time, depending upon the nature, volume, period, cost etc., of such services or facilities.

6. Review of fees, rent and other charges.—

(1) The Authority may, from time to time, review and modify the structure of fees, rent and other charges to be collected from various users of the integrated check post.

(2) The periodicity of review made under sub-regulation (1) may be decided by the Authority keeping in view the circumstances necessitating such review.

[F. No. 13/4/2013-BADP (LPAI)]

YUDHVIR SINGH SHAHRAWAT, Chairman

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

Scanned by CamScanner